



RAILWAY RECRUITMENT CELL
NORTH EASTERN RAILWAY, GORAKHPUR

Notification No. NER/RRC/Act Apprentice/2022-23

Dated 03.07.2023

ACT APPRENTICE TRAINING NOTIFICATION 2022-23

Date of commencement of online application - 03.07.2023 (10.00 Hrs)

Last Date for online application - 02.08.2023 (17.00 Hrs)

1. Online applications are invited from the candidates fulfilling the prescribed conditions for undergoing Apprenticeship Training under the Apprentices Act, 1961 and Apprenticeship Rules, 1962, in the following units of North Eastern Railway

| SN | Workshop/Unit | Slots |
|--------------|----------------------------------|-------------|
| 1 | Mechanical Workshop/ Gorakhpur | 411 |
| 2 | Signal Workshop/ Gorakhpur Cantt | 63 |
| 3 | Bridge Workshop /Gorakhpur Cantt | 35 |
| 4 | Mechanical Workshop/ Izzatnagar | 151 |
| 5 | Diesel Shed / Izzatnagar | 60 |
| 6 | Carriage & Wagon /Izzatnagar | 64 |
| 7 | Carriage & Wagon / Lucknow Jn | 155 |
| 8 | Diesel Shed / Gonda | 90 |
| 9 | Carriage & Wagon /Varanasi | 75 |
| Total | | 1104 |

2. The details of Trade wise slots with break-up of reservation for SC/ST/OBC/EWS/Divyang/Ex-Servicemen & their wards are as under-

| workshop/ Unit | Trade | UR | EWS | SC | ST | OBC | Total | Ex.S/Men | PwBD | Training Period |
|--|--------------------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|--------------------|
| Mechanical Workshop Gorakhpur | Fitter | 57 | 14 | 21 | 10 | 38 | 140 | 4 | 6 | 1 yr |
| | Welder | 25 | 6 | 9 | 5 | 17 | 62 | 2 | 2 | 1 yr |
| | Electrician | 7 | 2 | 2 | 1 | 5 | 17 | 1 | 1 | 1 yr |
| | Carpenter | 36 | 9 | 13 | 7 | 24 | 89 | 3 | 3 | 1 yr |
| | Painter | 35 | 9 | 13 | 7 | 23 | 87 | 3 | 3 | 1 yr |
| | Machinist | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 16 | 1 | 1 | 1 yr |
| | Total | 166 | 42 | 60 | 32 | 111 | 411 | 14 | 16 | |
| Signal Workshop Gorakhpur Cantt | Fitter | 13 | 3 | 5 | 2 | 8 | 31 | 1 | 2 | 1 yr |
| | Machinist | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 yr |
| | Welder | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 yr |
| | Carpenter | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 yr |
| | Turner | 7 | 1 | 2 | 1 | 4 | 15 | 0 | 1 | 1 yr |
| | Total | 27 | 6 | 9 | 4 | 17 | 63 | 1 | 3 | |
| Bridge Workshop Gorakhpur Cantt | Fitter | 9 | 2 | 3 | 2 | 5 | 21 | 1 | 1 | 1 yr |
| | Machinist | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 yr |
| | Welder | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 11 | 0 | 0 | 1 yr |
| | Total | 16 | 3 | 5 | 3 | 8 | 35 | 1 | 1 | |
| Mechanical Workshop Izzatnagar | Fitter | 16 | 4 | 6 | 3 | 10 | 39 | 1 | 2 | 1 yr |
| | Welder | 12 | 3 | 5 | 2 | 8 | 30 | 1 | 1 | 1 yr |
| | Carpenter | 15 | 4 | 6 | 3 | 11 | 39 | 1 | 2 | 1 yr |
| | Electrician | 13 | 3 | 5 | 2 | 9 | 32 | 1 | 1 | 1 yr |
| | Painter | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 11 | 1 | 0 | 1 yr |
| | Total | 60 | 15 | 24 | 11 | 41 | 151 | 5 | 6 | |
| Diesel Shed Izzatnagar | Electrician | 12 | 3 | 5 | 2 | 8 | 30 | 1 | 1 | 1 yr |
| | Mechanic Diesel | 12 | 3 | 5 | 2 | 8 | 30 | 1 | 1 | 1 yr |
| | Total | 24 | 6 | 10 | 4 | 16 | 60 | 2 | 2 | |
| Carriage & | Fitter | 26 | 6 | 10 | 5 | 17 | 64 | 2 | 3 | 1 yr |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------------|------------|------------|------------|-----------|------------|-------------|-----------|-----------|------|
| Wagon Izzatnagar | Total | 26 | 6 | 10 | 5 | 17 | 64 | 2 | 3 | |
| Carriage & Wagon Lucknow Jn | Fitter | 49 | 12 | 18 | 9 | 32 | 120 | 4 | 5 | 1 yr |
| | Welder | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 yr |
| | Carpenter | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 11 | 0 | 1 | 1 yr |
| | Trimmer | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 yr |
| | Machinist | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 yr |
| | Painter | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 yr |
| | Total | 61 | 17 | 24 | 10 | 43 | 155 | 4 | 6 | |
| Diesel Shed Gonda | Welder | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 yr |
| | Electrician | 8 | 2 | 3 | 2 | 5 | 20 | 1 | 1 | 1 yr |
| | Mechanic Diesel | 23 | 5 | 8 | 4 | 15 | 55 | 2 | 2 | 1 yr |
| | Fitter | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 13 | 0 | 1 | 1 yr |
| | Total | 39 | 8 | 13 | 7 | 23 | 90 | 3 | 4 | |
| | Fitter | 26 | 7 | 10 | 5 | 18 | 66 | 2 | 3 | 1 yr |
| | Welder | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 yr |
| | Carpenter | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 yr |
| | Trimmer | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 yr |
| | Painter | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 yr |
| | Total | 35 | 7 | 10 | 5 | 18 | 75 | 2 | 3 | |
| Total | | 564 | 110 | 165 | 81 | 294 | 1104 | 34 | 44 | |

Note- There is 4% reservation to Divyang(PwBD) & 3% reservation to the Ex-Servicemen & Wards of Ex-Servicemen & Armed Forces Personnel from their community (UR/SC/ST/OBC) in accordance with the provisions contained in Railway Board Letter No. E(MPP)2003/6/14 dated 09.12.2003 (RBE-213/2003), E(NG)II/2009/RR-1/10 dated 23.07.2015 (RBE-83/2015) & E(NG)II/2017/RC-2/1 Policy dated 16.02.2018 (RBE-23/2018). In terms of Railway Board Letter No. 2019-E(SCT)-1/25/1 dated 07.02.2019 (RBE-21/2019), there is 10% reservation to EWS (Economically Weaker Section) candidates from their community (UR).

3. **Age Limit** - The candidates must not be less than 15 years of age and not more than 24 years of age as on 02.08.2023. In the case of SC/ST candidates, upper age limit is relaxed by 5 years and in the case of OBC candidates, the upper age limit is relaxed by 3 years. For Divyang candidates maximum 10 years age relaxation is permitted.
4. **Essential Qualifications** - The candidate should have already passed the prescribed qualification of High School/10th with minimum 50% marks & ITI in notified trade on the date of issue of notification. i.e. 03.07.2023
5. **Physical Standard** - Selected candidates called for document verification will have to submit Medical Certificate in the attached prescribed format issued by authorized Medical Officer. Eligibility of Divyang for particular trade shall be governed by Railway Boards guidelines.
6. **Processing Fee**- The candidates will have to pay Rs.100/- as processing fee. SC/ST/EWS/Divyang (PwBD)/Women candidates are exempted from payment of processing fee.
7. **Mode of Application** - Candidates are required to submit their applications & processing fee (Rs.100/-) online. Before submitting online application, the candidate should ensure himself/herself that he/she is eligible under this notification. Server will be opened at 10.00 hrs on 03.07.2023 for online application and will be closed at 17.00 hrs on 02.08.2023.

8. **Mode of Selection:** Selection of the eligible candidates for imparting training under the Apprentice Act, 1961 will be based on the merit list which would be prepared taking the average of the percentage of marks obtained by the candidates in both Matriculation [with minimum 50% (aggregate) marks] and ITI examination giving equal weightage to both. Candidate may opt for more than one unit/place. In case, his/her merit position does not permit to allot first choice, he/she will be allotted subsequent choice. On the basis of information provided by the Candidates in their application form, candidates provisionally selected for Document Verification will be called for Document Verification at Gorakhpur and they will have to bring a copy of online application, Medical Certificate in prescribed format, 04 passport sized photograph, all their original certificates & testimonials for verification purpose. Apprentice training of successful candidates will be started at allotted Division/Unit.
9. **Training & Stipend:-** The candidates' training will be arranged according to the standards and syllabus prescribed by the Central Apprenticeship Council subject to registration with RDAT/Kanpur. The selected candidates will be paid stipend during Apprenticeship at the prescribed rates as per extant rules/Instructions.
10. **Disclaimer - Act apprentices imparted training in Railway establishments will have no claim to seek employment on Railways on the basis of such training.**
11. **Other Conditions-**
- a. Canvassing in any form would be a disqualification.
 - b. The candidates who are called for Document Verification are not eligible for any Travelling/Dearness Allowances, lodging & fooding Expenses.
 - c. Engineering Graduates and Diploma holders are not eligible to apply for apprenticeship in response to this notification as they are governed by separate scheme of apprenticeship.
 - d. Apprenticeship of the candidate is subject to their registration with RDAT/Kanpur.
 - e. The selected candidates shall execute a contract of Apprenticeship under the Apprentices Act, 1961 and if such a candidate is a minor, his parent/Guardian shall execute the prescribed contract. The Apprentices shall be governed by the provisions of Apprenticeship Rules, 1962 as amended from time to time and such Rules and Regulations applicable to them.
 - f. In case any applicant discontinues the apprenticeship training and fails to fulfill the obligations as per his contract without valid reasons, he/she will have to refund the stipend paid to him/her, the cost of training and such other costs that may be determined under the Rules by the Railway Administration.
 - g. The candidature for training is liable to be canceled at any time if false declaration discovered and candidates are not adhering Rules & Regulations of Railways. The decision of the Railway Administration in this regard will be final and binding. No further correspondence in this regard would be entertained.
12. Candidates should note that all communication shall be made by publishing notices on NE Railway's website. No individual call letters etc. shall be issued at any stage. SMS/Email may be sent to the candidates. However, candidates are advised to visit NER's website at regular intervals. Non. receipt of communication shall not be the basis of any claim, whatsoever. Candidates should note that document verification shall be conducted at very short notice. The schedule of document verification shall be published on NER's website.

Chairman
Railway Recruitment Cell
Gorakhpur



रेलवे भर्ती सेल पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर

अधिसूचना संख्या एनईआर/आरआरसी/ एक्ट अप्रेन्टिस/2022-23

दिनांक 03.07.2023

एक्ट अप्रेन्टिस प्रशिक्षण अधिसूचना 2022-23

ऑनलाइन आवेदन शुरू होने की तिथि - 03.07.2023 (सुबह 10:00 बजे)

ऑनलाइन आवेदन के लिए अंतिम तिथि - 02.08.2023 (शाम 05:00 बजे)

1. अप्रेन्टिस अधिनियम, 1961 एवं अप्रेन्टिसशिप नियम, 1962 के तहत अप्रेन्टिस प्रशिक्षण के लिए निर्धारित शर्तों को पूरा करने वाले उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।

| क्रम.सं | कारखाना / इकाई | कुल स्लॉट |
|---------|-------------------------------|-------------|
| 1 | यांत्रिक कारखाना /गोरखपुर | 411 |
| 2 | सिग्नल कारखाना /गोरखपुर छावनी | 63 |
| 3 | पुल कारखाना/ गोरखपुर छावनी | 35 |
| 4 | यांत्रिक कारखाना/ इज्जतनगर | 151 |
| 5 | डीजल शेड / इज्जतनगर | 60 |
| 6 | कैरिज & वैगन / इज्जतनगर | 64 |
| 7 | कैरिज & वैगन /लखनऊ जं | 155 |
| 8 | डीजल शेड /गोंडा | 90 |
| 9 | कैरिज & वैगन /वाराणसी | 75 |
| | Total | 1104 |

2. ट्रेड के अनुसार स्लॉट एवं एससी / एसटी / ओबीसी / ई.डब्ल्यू.एस. / दिव्यांग / भूतपूर्व सैनिकों और उनके बच्चों को मिलने वाले आरक्षण के बँटवारा का विवरण निम्नवत है-

| Workshop/ Unit | Trade | UR | EWS | SC | ST | OBC | Total | Ex.S/Man | PwBD | Training Period |
|--|--------------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|--------------------|
| Mechanical Workshop Gorakhpur | Fitter | 57 | 14 | 21 | 10 | 38 | 140 | 4 | 6 | 1 yr |
| | Welder | 25 | 6 | 9 | 5 | 17 | 62 | 2 | 2 | 1 yr |
| | Electrician | 7 | 2 | 2 | 1 | 5 | 17 | 1 | 1 | 1 yr |
| | Carpenter | 36 | 9 | 13 | 7 | 24 | 89 | 3 | 3 | 1 yr |
| | Painter | 35 | 9 | 13 | 7 | 23 | 87 | 3 | 3 | 1 yr |
| | Machinist | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 16 | 1 | 1 | 1 yr |
| | Total | 166 | 42 | 60 | 32 | 111 | 411 | 14 | 16 | |
| Signal Workshop Gorakhpur Cantt | Fitter | 13 | 3 | 5 | 2 | 8 | 31 | 1 | 2 | 1 yr |
| | Machinist | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 yr |
| | Welder | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 yr |
| | Carpenter | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 yr |
| | Turner | 7 | 1 | 2 | 1 | 4 | 15 | 0 | 1 | 1 yr |
| | Total | 27 | 6 | 9 | 4 | 17 | 63 | 1 | 3 | |
| Bridge Workshop Gorakhpur Cantt | Fitter | 9 | 2 | 3 | 2 | 5 | 21 | 1 | 1 | 1 yr |
| | Machinist | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 yr |
| | Welder | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 11 | 0 | 0 | 1 yr |
| | Total | 16 | 3 | 5 | 3 | 8 | 35 | 1 | 1 | |
| Mechanical Workshop Izzat Nagar | Fitter | 16 | 4 | 6 | 3 | 10 | 39 | 1 | 2 | 1 yr |
| | Welder | 12 | 3 | 5 | 2 | 8 | 30 | 1 | 1 | 1 yr |
| | Carpenter | 15 | 4 | 6 | 3 | 11 | 39 | 1 | 2 | 1 yr |
| | Electrician | 13 | 3 | 5 | 2 | 9 | 32 | 1 | 1 | 1 yr |
| | Painter | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 11 | 1 | 0 | 1 yr |
| | Total | 60 | 15 | 24 | 11 | 41 | 151 | 5 | 6 | |
| Diesel Shed Izzat Nagar | Electrician | 12 | 3 | 5 | 2 | 8 | 30 | 1 | 1 | 1 yr |
| | Mechanic | 12 | 3 | 5 | 2 | 8 | 30 | 1 | 1 | 1 yr |

| | | | | | | | | | | |
|------------------------------|--------------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|----------|------|
| | Diesel | | | | | | | | | |
| | Total | 24 | 6 | 10 | 4 | 16 | 60 | 2 | 2 | |
| Carriage & Wagon Izzat Nagar | Fitter | 26 | 6 | 10 | 5 | 17 | 64 | 2 | 3 | 1 yr |
| | Total | 26 | 6 | 10 | 5 | 17 | 64 | 2 | 3 | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|-----------------|------------|------------|-----------|------------|-------------|------------|-----------|----------|------|
| Carriage & Wagon Lucknow Jn | Fitter | 49 | 12 | 18 | 9 | 32 | 120 | 4 | 5 | 1 yr |
| | Welder | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 yr |
| | Carpenter | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 11 | 0 | 1 | 1 yr |
| | Trimmer | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 yr |
| | Machinist | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 yr |
| | Painter | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 yr |
| | Total | 61 | 17 | 24 | 10 | 43 | 155 | 4 | 6 | |
| Diesel Shed Gonda | Welder | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 yr |
| | Electrician | 8 | 2 | 3 | 2 | 5 | 20 | 1 | 1 | 1 yr |
| | Mechanic Diesel | 23 | 5 | 8 | 4 | 15 | 55 | 2 | 2 | 1 yr |
| | Fitter | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 13 | 0 | 1 | 1 yr |
| | Total | 39 | 8 | 13 | 7 | 23 | 90 | 3 | 4 | |
| | Fitter | 26 | 7 | 10 | 5 | 18 | 66 | 2 | 3 | 1 yr |
| | Welder | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 yr |
| | Carpenter | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 yr |
| | Trimmer | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 yr |
| | Painter | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 yr |
| | Total | 35 | 7 | 10 | 5 | 18 | 75 | 2 | 3 | |
| Total | 564 | 110 | 165 | 81 | 294 | 1104 | 34 | 44 | | |

नोट - रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या (एमपीपी) 2003/6/14 दिनांक 09.12.2003 (आर. बी.ई. - 213/2003, ई (एनजी) 11/2009/ आरआर -1 / 10 दिनांक 23.07.2015 (आर. बी.ई. - 83 / 2015) और ई(एनजी) 11 / 2017 / आरसी - 2 / 1 पालिसी दिनांक 16.02.2018 (आर.बी. ई. - 23 / 2018) में निहित प्रावधानों के तहत भूतपूर्व और सशस्त्र बलों के बच्चों को 3% आरक्षण एवं दिव्यांग अभ्यर्थियों को 4% उनके अपने समुदाय (अनारक्षित / एससी / एसटी / ओबीसी) से देय है। रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या 2019 - ई(एस. सी.टी.)- 1/25/1 दिनांक 07.02.2019 (आर.बी. ई. 21 / 2019) के अनुसार ई.डब्लू.एस. अभ्यर्थियों को 10 प्रतिशत आरक्षण उनके अपने समुदाय (अनारक्षित) से देय है।

- आयु सीमाएं:** - अभ्यर्थियों को 03.07.2023 को 15 वर्ष से कम और 24 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए। एससी / एसटी अभ्यर्थियों की ऊपरी आयु सीमा के मामले में 5 साल तक की छूट और ओबीसी उम्मीदवारों के मामले में, ऊपरी आयु सीमा में 3 साल तक की छूट एवं दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में अधिकतम 10 वर्ष की छूट की अनुमति है।
- आवश्यक योग्यताएं** - अभ्यर्थियों को अधिसूचना जारी होने की तारीख को अधिसूचित ट्रेड में आईटीआई के साथ न्यूनतम 50 प्रतिशत अंको सहित हाई-स्कूल /10 वीं की निर्धारित योग्यता मान्यता प्राप्त बोर्ड से उत्तीर्ण होना चाहिए।
- शारीरिक मानक** — प्रलेख सत्यापन के लिए बुलाए गए चयनित अभ्यर्थियों को संलग्न निर्धारित प्रारूप पर प्राधिकृत चिकित्साधिकारी द्वारा जारी किया गया मेडिकल प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। (प्रारूप संलग्न है) दिव्यांग की पात्रता रेलवे बोर्ड के दिशा-निर्देशों द्वारा शासित होगी।

6. **प्रसंस्करण शुल्क** - उम्मीदवारों को प्रसंस्करण शुल्क के रूप में 100 /- रूपये का भुगतान करना होगा। अनुसूचित जाति / जनजाति / ई.डब्ल्यू.एस./ दिव्यांग / महिला उम्मीदवारों को प्रसंस्करण शुल्क से छूट दी गयी है।
7. **आवेदन का तरीका** - उम्मीदवारों को अपने आवेदन और प्रसंस्करण शुल्क (100 /- रू.) ऑनलाइन जमा करने होंगे। ऑनलाइन आवेदन जमा करने से पहले अभ्यर्थियों को यह सूनिश्चित कर लेना चाहिए कि वे इस अधिसूचना के अन्तर्गत पात्र है। ऑनलाइन आवेदन के लिए सर्वर दिनांक 03.07.2023 को सुबह 10.00 बजे खोला जायेगा एवं 02.08.2023 को शाम 5.00 बजे बन्द कर दिया जायेगा।
8. **चयन का तरीका** - अप्रेंटिस अधिनियम, 1961 के तहत प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु योग्य उम्मीदवारों का चयन मेरिट सूची के आधार किया जाएगा जो मैट्रिक [न्यूनतम 50% (कुल) अंकों के साथ] और आईटीआई परीक्षा दोनों में उम्मीदवार द्वारा प्राप्त किये गये प्रतिशत के औसत के आधार पर तैयार किया जाएगा। अभ्यर्थी एक से अधिक ईकाई / स्थान का चयन कर सकते हैं। यदि उसकी योग्यता के आधार पर पहली पसंद वाली ईकाई आवंटित नहीं हो पाती है तो उसे बाद की पसंद वाली ईकाई आवंटित की जायेगी। अभ्यर्थियों को गोरखपुर में प्रलेख सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा और उन्हें प्रलेख सत्यापन हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र, निर्धारित फार्मेट में मेडिकल सर्टिफिकेट, 04 अदद पासपोर्ट आकार के फोटोग्राफ, सभी मूल प्रमाणपत्रों और प्रशंसापत्रों तथा उनकी छायाप्रति लाना होगा। प्रलेख सत्यापन के बाद, पात्र उम्मीदवारों का आवंटित मण्डल / यूनिट में प्रशिक्षण प्रारम्भ होगा।
9. **प्रशिक्षण और वृत्तिका** - केंद्रीय अप्रेंटिसशिप काउंसिल द्वारा निर्धारित मानकों और दिशानिर्देशों के अनुसार प्रशिक्षण दिया जायेगा। प्रशिक्षुओं को निर्धारित दरों पर अप्रेंटिस के दौरान वृत्तिका का भुगतान किया जाएगा।
10. **अस्वीकरण** - इस अधिनियम के अनुसार, अप्रेंटिसों की अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण पूरा होने पर उन्हें कोई रोजगार देना रेलवे की बाध्यता नहीं है। तदनुसार, रेल संगठनों में प्रशिक्षण प्राप्त अप्रेंटिस इस प्रकार के प्रशिक्षण के आधार पर रेलवे में रोजगार प्राप्त करने के लिए कोई दावा नहीं कर सकते।
11. **अन्य शर्तें** -
 - a. चयन हेतु किसी भी रूप में की गयी पैरवी अयोग्यता मानी जाएगी।
 - b. जिन अभ्यर्थियों को प्रलेख सत्यापन के लिए बुलाया जाता है उन्हें किसी भी यात्रा / महंगाई भत्ते, रहने व भोजन सम्बन्धी व्यय का भुगतान नहीं किया जायेगा।
 - c. इंजीनियरिंग स्नातक और डिप्लोमा धारक इस अधिसूचना के आधार पर शिक्षता के लिए आवेदन करने के लिए योग्य नहीं है। क्योंकि वे शिक्षता की अलग योजना द्वारा शासित होते हैं।
 - d. चयनित अभ्यर्थियों की शिक्षता आर.डी.ए.टी./कानपुर से उनके पंजीकरण के आधार पर होगा।
 - e. चयनित अभ्यर्थी अप्रेंटिस अधिनियम, 1961 के तहत अप्रेंटिसशिप का अनुबंध निष्पादित करेंगे और यदि अभ्यर्थी नाबालिग है, तो उसके माता-पिता/अभिभावक निर्धारित अनुबंध को निष्पादित करेंगे। अप्रेंटिस प्रशिक्षण समय-समय पर संशोधित अप्रेंटिस अधिनियम, 1961 एवं अप्रेंटिसशिप नियम, 1962 के प्रावधानों और नियमों / विनियमों के अधीन होगा।
 - f. यदि एक अप्रेंटिस शिक्षता प्रशिक्षण को बंद कर देता है और वैध कारणों के बिना अपने अनुबंध के अनुसार दायित्वों को पूरा करने में विफल रहता है, तो उसे रेलवे प्रशासन द्वारा भुगतान किये गए वृत्तिका, प्रशिक्षण की लागत और ऐसी अन्य लागतें वापस करनी होंगी जो नियमों के तहत निर्धारित की जा सकती है।
 - g. यदि अभ्यर्थी द्वारा कोई भी झूठी घोषणा की गई हो और अभ्यर्थी रेलवे के नियमों और विनियमों का पालन नहीं कर रहे हैं तो प्रशिक्षण के लिए अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता रद्द कर किया जा सकता है इस संबंध में रेलवे प्रशासन का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा। इस संबंध में कोई और पत्राचार नहीं किया जाएगा।
12. **संचार / सूचनाओं का प्रकाशन** - अभ्यर्थियों को ध्यान रखना चाहिए कि सभी संचार/सूचना पूर्वोत्तर रेलवे की वेबसाइट पर नोटिस प्रकाशित करके किये जाएंगे। किसी स्तर पर कोई व्यक्तिगत बुलावा पत्र जारी नहीं किया जाएगा। उम्मीदवारों को एसएमएस / ईमेल भेजा जा सकता है। हाँलाकि अभ्यर्थियों को नियमित अंतराल पर पूर्वोत्तर रेलवे की वेबसाइट देखने की सलाह दी जाती है। संचार / सूचनाओं की प्राप्ति न होना किसी भी दावे का आधार नहीं होगा, चाहे वह जो भी हो। अभ्यर्थी को ध्यान रखना चाहिए कि प्रलेख सत्यापन बहुत ही कम समय के नोटिस पर आयोजित किया जाएगा। प्रलेख सत्यापन का शेड्यूल वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा।

अध्यक्ष
रेलवे भर्ती सेल
गोरखपुर